न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः– श्री पंकज कुमार (आर.ए.एस.)
विविध प्रार्थना पत्र :– 223 / 2022
राजस्व मूल वाद :– 272 / 2022

प्रार्थीगण–

1. श्रीमती मैना देवी पत्नी स्व0 जयलाल जी जाति माली उम्र 75 वर्ष निवासी मगरा पूंजला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. अर्जुनसिंह पुत्र श्री जयलाल जी जाति माली
2. दिनेश गहलोत पुत्र श्री जयलाल जी के कायम मुकाम
   2/1 कौशल्या पत्नी स्व दिनेश
   2/2 राजेश पुत्र श्री स्व दिनेश
   2/3 नवीन गहलोत पुत्र स्व दिनेश जातियान माली निवासीगण पावटा सी रोड चौथी गली , जोधपुर।
3. ओमादेवी पुत्री श्री जयलाल जी
4. मोनीका पुत्री मंजू दोहिती जयलाल जी
5. खुशबु पुत्री श्रीमती मंजू दोहिती जयलाल जी
6. हेमांश पुत्र श्रीमती मंजू दोहिता जयलाल जी
7. सभी जातियान माली निवासीगण मगरा पूजंला जोधपुर।
8. राजस्थान राज्य जरिए जिला कलेक्टर
9. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश आदेश 212 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादीः– श्री हरिसिंह कच्छवाह एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 1 से 6 अधिवक्ताः– राजेश राठी एडवोकेट

दिनांकः–21/05/2024

–::आदेश::–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 212 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थीनी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया की प्रार्थीया के संयुक्त हिस्से की कृषि भूमि आई हुई जिसमे प्रार्थी 1/5 है जो कि सह खातेदारी कब्जा काश्त एव संयुक्त स्वामित्व कि कृषि भमि वाके ग्राम पूजंला पटवार क्षेत्र पूंजला भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जोधपुर के खसरा नम्बर 302, 302/4 रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा 5 बिस्वांशी संयुक्त कब्जा काश्त की आयी हुई है जिस पर सभी खातेदारों का सहकाश्त है तथा उक्त कृषि भूमि जो कि हमारी पैतृक कृषि भूमि है जिस पर अप्रार्थी के द्वारा बिना बंडवाडा रास्ते की भूमि पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने के कारण प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया गया है जिसमे दिनांक 11. 03.2022 को आदेश पारित करते हुए प्रार्थी की 4 बिस्वा भूमि के बाबत यथास्थिति के आदेश पारित किये गये हैं जिस आदेश कि जानकारी अप्रार्थी को रही है। विवादग्रस्त कृषि भूमि का आज दिन तक बंटवाडा नहीं हुआ है

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
(उत्तर) जोधपुर

जिसके लिए वाद न्यायालय में विचाराधीन है तथा स्थगन आदेश जारी होने के बावजूद निर्माण कार्य को रोक नहीं रहे हैं तथा निर्माण कार्य निरंतर जारी है इसके बावजूद भी अप्रार्थी बिना भूमि रूपातंरण करवाये पक्का निर्माण कार्य करवा रहे हैं तथा जायदाद जो कि रास्ते पर आई हुई है पर जबरदस्ती निर्माण कार्य बिना बंटवाडा के करवाने को आमदा तथा रास्ते के भू भाग पर आई हुई भूमि पर निर्माण कार्य करवाना चाहते हैं जिसका कोई अधिकार अप्रार्थीगण को प्राप्त नहीं है। तथा अप्रार्थी के द्वारा अपनी जायदाद को बिना बंडवाडा करवाये गये बैचान किये जाने के कारण मौके अनावश्यक विवाद उत्पन्न हो गया है श्रीमान् जी के द्वारा पारित किये गये आदेश की पालना नहीं की जा रही है तथा जायदाद का उपयोग अप्रार्थी तथा अप्रार्थी के खरीददार कृषि से अकृषि में किया जा रहा है जिसका कोई अधिकार अप्रार्थी को प्राप्त नहीं है तथा अप्रार्थी के खरीददारों के द्वारा मोके पर अनुसूचित जाति की महिला को लाकर बैठाया है जो कि लज्जा भंग का मुकदमा करने तथा मारपीट करने को उतारू रहती है जिसके कारण अप्रार्थी के द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना की जा रही है तथा मौके पर आमूल–चूल परिवर्तन करने की स्थिति बना दी है तथा निर्माण निरंतर जारी है। वर्तमान में भूमि की कीमतों मे वृद्धि हो जाने के कारण अप्रार्थीगण की नियत मे बदलाव आ गया है तथा अप्रार्थीगण जायदाद का हिस्सा व पडौस दिखाकर जायदाद को निर्माण कर हस्तांतरण करने को आमादा है जायदाद के लिए नक्शे बना दिये गये है तथा प्लाटिंग कर दी गई है जिसका उनको कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अप्रार्थी प्रार्थी की काश्त में दखल अंदाजी पैदा कर रहे हैं तथा प्रार्थी के शांतिपूर्ण उपयोग व उपभोग करने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं तथा विवादग्रस्त कृषि भूमि के मौके पर विशेष भाग पर निर्माण व उसका हस्तांतरण करने पर आमादा है जबकि विवादग्रस्त कृषि भूमि सहकाश्त कृषि भूमि है। श्रीमान जी द्वारा पारित उक्त आदेश में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है तथा बिना बंटवाडा किये मौके की कीमती भूमि विवादग्रस्त जायदाद पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया है जो की निरंतर है। प्रार्थी के द्वारा श्रीमान जी के द्वारा पारित किये गये आदेश पालना किये जाने हेतु पुलिस थानाधिकारी माता का थान को सूचित किया गया लेकिन उनके द्वारा मौके पर चल रहे निर्माण को नहीं रूकवाया जा रहा है बल्कि अप्रार्थी तथा उनके खरीदारों से मिलीभगत करके तरमीम का बहान बनाया जा रहा है जबकि ला एण्ड आर्डर को मेंटेन किये जाने का दायित्व पुलिस थाना अधिकारी का है कि स्थगन आदेश विचाराधीन होने के बावजदू भी मौके पर निर्माण युद्व स्तर पर चल रहा है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेश की अवहेलना की गई है। जिस आदेश की पालना किये जाने हेतू प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पुलिस थाना माता का थान को दिया तथा उसके पश्चात पुलिस आयुक्त जोधपुर को भी दिया गया जिस पर पुलिस थाना द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है। इस प्रकार अप्रार्थी के द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश की खेल आम अवहेलना की जा रही है तथा आदेश मानने को तैयार नहीं है। अप्रार्थी के विरूद्व उक्त आदेश पारित किये जाने के बाद भी मौके पर निर्माण युद्व स्तर पर चालू है जिसके कारण अप्रार्थी उक्त जायदाद के बाबत पारित किये गये आदेश की पालना सुनिश्चित किये जाने के पुलिस थानाधिकारी माता का थान अधिकृत व्यक्ति है तथा अप्रार्थी खातेदार मिलीभगत करके मौके पर निर्माण कार्य करवा रहे हैं जिसके लिए आदेश की पालना किये जाने बाबत थानाधिकारी माता का थान को रिसीवर नियुक्त किया जाना आवश्यक है जिससे प्रथम दृष्टया श्रीमान जी द्वारा पारित किये गये आदेश की पालना हो। श्रीमान जी द्वारा पारित किये

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
(उत्तर) जोधपुर

गये आदेश की जानकारी अप्रार्थी को रही है तथा अप्रार्थी को आदेश की जानकारी होने के बावजूद भी माननीय न्यायालय के आदेश को नजर अन्दाज करते हुए विवादित जायदाद खसरों पर निर्माण कार्य करवाया जा रहा है काश्तकारों द्वारा किया जा रहा है। स्थगन आदेश होने के बावजूद भी अप्रार्थी के द्वारा निर्माण कार्य को नहीं रूकवाया गया है जिसके कारण अप्रार्थी की मिलीभगत प्रमाणित है जिससे भी यह तथ्य प्रमाणित हो जाता है की अप्रार्थीगण स्थगन आदेश जारी होने के बावजूद भी माननीय न्यायालय के आदेश की पालन नही कर रहे है। अप्रार्थी निर्माण कार्य को रूकवा नहीं रहे हैं जिसके लिए उक्त जायदाद के लिए रिसीवर नियुक्त किया जाना हर तरह से कानूनी है। अतं मे निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया जाकर माननीय न्याायलय के आदेश की अवमानना करके ग्रम पूजंला पटवार क्षेत्र पूंजला भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जोधपुर के खसरा नम्बर 302, 302/4 रकबा 4 बिस्वा भूमि के लिए आदेश पारित किया लेकिन प्रार्थी की भूमि पर तरमीम नहीं होने के कारण सम्पूर्ण रकबे 7 बीघा 16 बिस्वा 5 बिस्वांशी के लिए स्थगन आदेश की पालना सुनिश्चित किये जाने के बाबत् खाली पड़ी भूमि के लिए थानाधिकारी पुलिसथाना माता का थान को रिसीवर नियुक्त किया जाकर जायदाद को कुर्क किया जावे अन्य कोई आदेश जो अप्रार्थी के पक्ष मे हो पारित फरमावे।

अप्रार्थी संख्या 1 से 6 कि और से प्रार्थना पत्र को कोई जबाब पेश नहीं कर सीधे ही बहस की गई जिसमे अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं करवाया जा रहा है तथा तथा मौके पर मौखिक बंटवाडा हो चुका है प्रार्थीनी मौके पर बंटवाडा के अनुसार अपनी भूमि पर काबिज है। प्रार्थीनी की जायदाद पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करवाया जा रहा है। प्रार्थीनी ने अपने स्वयं के हिस्से की भूमि पर अपनी गाड़ी खड़ी कर रखी है तथा जो भी निर्माण कार्य है वह प्रार्थीनी की भूमि से बाहर किया जा रहा है। जिन आधारों पर अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थीनी के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।

अप्रार्थी संख्या 7 से 9 को जरिए रजिस्टर्ड डाक से सम्मन भेजा गया लेकिन कोई उपस्थि नहीं आया।

न्यायालय द्वारा प्रार्थी अधिवक्ता के कथन पर मौके की स्थिति की रिपोर्ट मंगवाए जाने हेतु थानाधिकारी, पुलिस थाना माता का थान को तहरीर भेज कर मौका स्थिति की रिपोर्ट प्रार्थीनी की उपस्थिति मे मंगवाये जाने हेतू आदेशित किया गया जिस पर मौके कि स्थिति प्रार्थीनी कि उपस्थित दिनांक 19.03.2024 में फोटे दिखाते हुए मौके रिर्पोट थानाधिकारी पुलिसथाना माता का थान के द्वारा पेश कि गई जिसे शामिल मिसल किया गया है।

हमने उभय पक्षों की बहस सुनी पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं पत्रावली का अवलोकन किया। स्वीकृत रूप से विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताए अनुसार मौके की फोटो दिनांक 19.03.2024 के अनुसार प्रार्थीनी का विवादीत कब्जा है तथा मौके पर प्रार्थीनी कि गाड़ी रखी हुई है, जिसके चारों तरफ कच्ची चार दिवारी की गई है। उक्त भूमि प्रार्थीनी के कब्जे स्वामित्व की है जो प्रार्थीनी का रकबा 4 बिस्वा बनता है। जो चार दीवारी से संरक्षित है चूंकि प्रार्थीनी का हक अधिकार केवल मात्र 4 बिस्वा के लिए ही है जिस पर प्रार्थीनी का कब्जा फोटो से प्रतीत होता है चूंकि विधिवत बंटवाडा नियमित वाद में किया जाना है लेकिन अप्रार्थी स्थगन आदेश के बाद भी फोटो के अनुसार प्रार्थीनी के पास ही झोंपडिया बनाकर कब्जे करने

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
(उत्तर) जोधपुर

को अमादा है तथा न्यायालय के द्वारा दिनांक 11.03.2022 को प्रार्थीनी के हक हिस्से की 4 बिस्वा भूमि के लिए स्थगन आदेश जारी किया गया है प्रार्थीनी के द्वारा सशपथ प्रार्थना का किसी प्रकार से खण्डन अप्रार्थी के द्वारा नहीं किया गया है तथा अप्रार्थी के तर्क के अनुसार मौके पर मौखिक बंटवाड़ा हो चुका है तथा अप्रार्थी प्रार्थी की बनी झौपडी में किसी प्रकार का हस्तेक्षप नहीं कर रहे हैं। प्रार्थीनी का विवादित भूमि में 4 बिस्वा हक हिस्सा है तथा मौके पर 4 बिस्वा प्रार्थीनी का कब्जा है जिस पर स्थगन आदेश के बावजूद भी जायदाद में परिवर्तन किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रार्थीनी की 4 बिस्वा भूमि जो थानाधिकारी पुलिसथाना माता का थान के द्वारा पेश की गई रिर्पोट में दिनांक 19.03.2024 को प्रार्थीनी की उपस्थित में प्रार्थीनी की गाड़ी के साथ खिंचवाये गये फोटो की भूमि जो की कच्ची चार दीवारी से सुरक्षित की गई है जिसका रकबा 4 बिस्वा भूमि के लिए रिसीवर नियुक्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए रिसिवर थानाधिकारी माता का थान को नियुक्त किए जाने का निवेदन किया गया, किंतु प्रकरण फौजदारी प्रकृति का नहीं होने से रिसिवर थानाधिकारी माता का थान को नियुक्त किया जाना उचित माध्यम नहीं है। उक्त प्रकरण में तहसीलदार जोधपुर को रिसिवर नियुक्त किया जाना ही उचित माध्यम होगा।

अतः प्रार्थीनी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीनी की 4 बिस्वा भूमि जो कि दिनांक 19.3.2024 की पुलिस थाना माता का थान जोधपुर द्वारा भेजी गई रिर्पोट के साथ सलग्न फोटो जिसमें प्रार्थीनी अपनी गाड़ी के साथ उपस्थित है की भूमि जो चार दीवारी से सुरक्षित है के लिए तहसीलदार जोधपुर को रिसीवर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार जोधपुर थानाधिकारी माता का थान से समन्वय स्थापित करते हुए उक्त भूमि को अपनी तहवील में लेवें तथा तहसीलदार जोधपुर रिसिवर के कर्तव्यों की पालना करते हुए रिपोर्ट प्रेषित करें। इस संबंध में तहसीलदार जोधपुर को तहरीर जारी हो।

(पंकज कुमार)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

आदेश आज दिनांक २१/०८/२०२४ को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पंकज कुमार)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर